

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. +3024
बुधवार, 21 मार्च, 2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

उत्तराखण्ड में पर्यटन का विकास

+3024. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तराखण्ड को पर्यटन के विकास के लिए दी गई निधियों के उपयोग प्रमाण-पत्र लम्बित हैं;
- (ख) यदि हां, तो उन सम्बन्धित योजनाओं जिनके लिए निधि जारी की गई थी, के नाम क्या हैं; और
- (ग) क्या राज्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्मिलित किए जाने के लिए पर्यटन संबंधी योजनाएं प्राप्त हुई थीं; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री के.जे. अल्फोंस)

(क) से (ख) : जी, नहीं । उत्तराखण्ड सरकार के अनुसार उत्तराखण्ड विकास बोर्ड के पास प्रशाद और स्वदेश दर्शन योजना का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है ।

(ग) : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एक सतत प्रक्रिया है । ये परियोजनाएं उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन, पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं ।
